

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जुला. 2025 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खजाना बिल (एटीबी)
1	2	3	4	5	
1	आंध्र प्रदेश	11966	1181	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	3040	8	0	5350
3	असम	7730	94	0	0
4	बिहार	13890	-	0	19000
5	छत्तीसगढ़	8508	987	0	8268
6	गोवा	1164	473	0	0
7	गुजरात	15863	688	0	2000
8	हरियाणा	2706	1756	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	37	36	0	0
11	झारखंड	3094	-	0	780
12	कर्नाटक	20953	776	0	65925
13	केरल	3342	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1320	0	1500
15	महाराष्ट्र	73889	2221	0	0
16	मणिपुर	72	145	0	0
17	मेघालय	1320	112	0	0
18	मिज़ोरम	522	83	0	0
19	नगालैंड	1959	48	0	0
20	उड़ीसा	18946	2120	0	15636
21	पुदुचेरी	599	-	0	2050
22	पंजाब	10400	948	0	0
23	राजस्थान	2884	375	0	5750
24	तमिलनाडु	3567	-	0	968
25	तेलंगाना	8167	1790	0	0
26	त्रिपुरा	1361	31	0	0
27	उत्तराखंड	5865	315	0	0
28	उत्तरप्रदेश	16554	2914	0	15000
29	पश्चिम बंगाल	14311	1067	0	10000
	कुल	252706	19487	0	152227

टिप्पणियाँ: 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।
2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।
3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।